

बिहार सरकार  
विधि विभाग

फैक्स

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,  
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,  
अररिया ।

पटना, दिनांक...०५/०९/१५

विषय:- अररिया जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-६९५/विधि, दिनांक-१८.०५.२०१५ के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अररिया जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित की कृपा की है :-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
१.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	६३३/७०
२.	श्री मो० वसीवुरहमान	१२/६९
३.	श्री मो० अब्दुल मन्नान	५४८/७६
४.	श्री सैय्यद महफुज अहमद,	४१६/८३
५.	श्री मो० आरिफ हुसैन	२७७६/९२
६.	श्री जय प्रकाश सिंह	१४५३/९५
७.	श्री छंगुरी मंडल	१५५७/९५
८.	श्री संजय कुमार मिश्रा	३६९८/९६
९.	श्रीमती प्रभा कुमारी	४९९८/९६
१०.	श्री रघुनाथ विश्वास	३८०/०४
११.	श्री राजानन्दन पासवान	१४३/०३

२. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

३. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा अन्य पदों पर नियुक्त होकर कार्य करने पर फी एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।

४. इस शर्त के साथ की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी से अपर लोक अभियोजक के सभी शेष १० पदों पर में सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से क्रमशः क्रमांक-११ पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

विश्वासभाजन



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...५६७५/जे०, पटना, दिनांक:-...०५/०९/१५...

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...५६७५/जे०, पटना, दिनांक:-...०५/०९/१५...

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।